SUMMADITION



## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No
Name and address of the Complainant
***************************************
277- F: 317E3
Name , parentage, caste and address of accused
Rio Tua Cang Pos Sive
RIOTUACCION DO
1) 13 3/12
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
2001
आप पर आरोप है कि दिनांक 30-10-12 मुकाम रिपार (तार्ग काला प्राप्त के पर्क 2012) पर बिना वैध अनुज्ञाप्ति के अपने
आधिपत्य में रिप् पाव/बोतल रिप् शराब विकथ/परिव्रहन हेतु रखी।
ऐसा करके आएने अवस्ति अधिक र
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया।
[1982] 이번에 [1994]에 되어 5년 1984 - 1984 - 1984 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1
क्या आपको उक्त अपराध रवीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
The plea of the accused and his examination (if any)
।पराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेतन है।
- तेत्राणन

## (आज दिनांक ...। ५-॥ -। १ को घोषित)

- 91 अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि0 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने रथेव्छापूर्वक जुर्म / अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। जसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 94 जदाशहा सम्पत्ति २५ लोटर/पाव/बोतल रेडि शराब मल्मरान एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुस्मर अस्तर अस्त होते अधिक स्थानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुस्मर

420